खण्ड: 2, अंक: 4

अप्रैल 2019

# संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

## लोक सभा 2019: चुनाव घोषणा पत्र

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंनः आर किशोर

# संश्लेषण

## लोक सभा 2019ः चुनाव घोषणा पत्र

अनुक्रमिका


| | | |
|---|---|---|
| सम्पादकीय | | i-ii |
| 1. चुनावी घोषणा पत्र 2019ः एक विश्लेषण | – सृष्टि | 1–3 |
| 2. चुनाव घोषणा पत्रः अवधारणा और प्रासंगिकता | – रजनी | 4–7 |
| 3. चुनाव घोषणा पत्रः राजनीतिक दलों का चुनावी यंत्र | – शिम्पी पांडे | 8–11 |
| 4. चुनाव घोषणा पत्रः औपचारिकता, व्यवहारिकता एवं वास्तविकता | – राम किशोर | 12–14 |
| 5. चुनाव घोषणा पत्र के कानूनी क्रियान्वयन की आवश्यकता | – डॉ. अमित अग्रवाल | 15–18 |
| 6. कांग्रेस का '2019 लोक सभा चुनावी घोषणा पत्र' मतदाता को लामबंद करने का आर्थिक आयाम | – अजय कुमार शाह | 19–21 |
| 7. कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र 2019 का विश्लेषण | – राहुल शर्मा | 22–25 |
| 8. पर्यावरणीय मुद्देः भाजपा–कांग्रेस घोषणा पत्र का तुलनात्मक अध्ययन | – पंकज | 26–29 |

# सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के मंच से समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा समसामयिक विषय पर अपने सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण का संश्लेषण के माध्यम से यह नौवां प्रयास डीसीआरसी परिवार की दृढ़ संकल्पना का परिचायक है। शोध केन्द्र की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के वर्ष 2019 के चतुर्थ तथा अब तक के नवम् अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष 2019 का अप्रैल माह 17वीं लोक सभा चुनाव घोषणा से आरंभ हुआ। चुनावी उद्घोषणा के साथ ही समस्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों ने अपने–अपने चुनावी प्रतिज्ञाओं व आश्वसनों सहित पूर्व वर्षो के संपन्न कार्यक्रमों को सूचीबद्ध घोषणापत्रों के माध्यम से समस्त मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। कुछ राजनीतिक दलों ने जहां घोषणापत्रों के प्रकाशन व विमोचन में अत्याधिक शीघ्रता दिखाई वहीं अन्य दलों ने प्रकाशित घोषणपत्रों के छूटे अशों को प्रलोभनों के नए प्रकारों के रुपों में तत्परता से प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'लोक सभा 2019ः चुनाव घोषणापत्र' विषय पर लेख आमंत्रित किये। आठ उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं। य समस्त लेख न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों के शासन संबंधित वृहत् लक्ष्य एवं ध्येय को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु इनमें अर्न्तनिहित विभिन्न प्रावधानों एवं वाद–विषयों के वास्तविक कार्यान्वयन की वैधानिकता को एक नए रूप से विश्लेषण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक व्यापक एवं समग्र घोषणापत्रों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि समस्त राजनीतिक दलों ने सुशासन एवं प्रलोभन का एक संतुलित सामंजस्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में

प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करते हैं।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के मई माह के अपने चतुर्थ समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

मंगलवार, 14 मई 2019

# 1

# चुनावी घोषणा पत्र 2019: एक विश्लेषण

**सृष्टि**

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविधालय

अभी लोकसभा चुनाव का वातावरण है और चारों तरफ इस बात पर ही विचार–विमर्श है कि कौन सा दल किससे बेहतर है एंव कौन नेता किससे बेहतर। चुनावी वातावरण में राजनीतिक दलों का घोषणा–पत्र आमतौर पर मतदाताओं के बीच मात्र एक औपचारिकता के रूप में लिया जाता रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा–पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए हास्य स्वरूप में कहा था कि "इसे में ही लिखता हूँ और में ही पढ़ता हूँ।" आशय स्पष्ट है कि लोग घोषणा–पत्रों को अधिक महत्व नहीं देते थे। परंतु दलों के घोषणा–पत्र लोकतंत्र का आवश्यक व महत्वपूर्ण भाग होते है। नेहरू जी के समय में भारत का लोकतंत्र केवल आकार ही ले रहा था। उसके चरित्र का निर्धारण होना शेष था। अपितु अब हमारा लोकतंत्र एक ऐसे आयाम पर आ पहुंचा है कि उससे सम्यक आचरण की उम्मीद करते है। एंव वर्तमान समय में आम– चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे को समाप्त करने तक की जंग के भाव में लिया जा रहा है, घोषणा–पत्र का महत्व अधिक बढ़ गया है।

अप्रैल 2, 2019 को काँग्रेस ने ''लोकसभा चुनाव 2019'' के लिए अपने घोषणापत्र "काँग्रेस विल डिलीवर" को जारी किया, जिसके कवर प्रष्ठ पर राहुल गांधी जी की तस्वीर थी। इसे ही कहते है, "अपनी रोली अपना चन्दन अपना ही अभिनंदन"। नेहरू शायद ऐसा नहीं कर सकते थे। अपने ही दल के घोषणा पत्र पर अध्यक्ष या नेता की तस्वीर लगाना सामंती सोच है। यह लोकतंत्र के स्वीकृत अनुशासनों के विरुद्ध है। कॉंग्रेस की मानें तो, इस घोषणा–पत्र को तैयार करने में, अनेक संस्थाओं के सहयोग लिए गए एंव साठ विद्धतजनों की एक टीम ने, जिसकी अगुवाई पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कर रहे थे, इसे यह स्वरूप दिया है। शायद इसीलिए राहुल गांधी जी ने इसे जन–आवाज कहा है। इसके हिन्दी रूप का शीर्षक रखा गया है– "हम निभाएंगे"। जबकि होना चाहिए था "पूरा करेंगे"। पूरा करने में संकल्प का भाव अंतनिर्हित है, निभाना में विवशता का। इन बारीकियों पर विचार–विमर्श करना आवश्यक है। काँग्रेस के घोषणापत्र की शुरुवात ही रोजगार के विषय से हुई है। पहले अध्याय का शीर्षक है– काम, रोजगार एंव विकास। इसकी

प्रस्तावना है– हमारा संकल्प है– रोजगार, रोजगार, रोजगार। व जिसकी उद्घोषणा में कहा गया है कि गरीबी पे वार, बहत्तर हजार। न्याय एंव न्यूनतम योजना के नाम से उद्घोषित यह स्कीम घोषणा पत्र का केंद्र है।

किसी ने यह नहीं सोचा की बिना उधम के इस तरह धन उछालने की यह प्रवत्ति समाज का कौन सा स्वरूप देगी। मनरेगा एक शानदार योजना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार का स्रजन हुआ है। विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार के बावजूद इस योजना ने गाँव में गरीबों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। इसके पहले वे भू–स्वामियों के खेत पर कम करने भर के लिए विवश थे। अतः मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार का आकार सम्रद्ध किया। इससे अकुशल श्रमिकों को एक निश्चित आमदनी होने लगी। उनकी क्रय–शक्ति बढ्नें से स्थानीय बाजार गतिशील हुए। इस बहत्तर हजार योजना से बाजार तो गतिशील होगे, किन्तु मुफ्त–खोरी की जो आदत बनेगी, उससे देश का सामाजिक नैतिक स्वास्थ्य कितना दुष्प्रभावित एंव प्रदूषित होगा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह, रोजगार स्रजन के लिए किसी वैकल्पिक ढ़ाचे के घोषणा तो नहीं की गई, किन्तु लाखों के लिए रोजगार की घोषणा आवश्यक रूप से की गई।

केंद्रीय सेवाओं में 04 लाख, प्रांतीय सरकारो में 20 लाख एंव पंचायत व नगरीय स्वायत्त शासन निकायों में 10 लाख रिक्तियों के विश्वास पर रोजगार उपलब्ध करने की बात की गई। जबकि इसके स्थान पर काँग्रेस को देश के पिछड़े इलाकों में तीव्र गति से औधोकीकरण और इस आधार पर रोजगार स्रजन की बात रखनी चाहिए थी। ऐसा करके वह युवा वर्ग को अधिक आकर्षित कर सकती थी। किसानों के "प्रथक बजट" एंव नेशनल कमिशन ऑन एग्रिकल्चर डेव्लपमेंट एंड प्लानिंग" की घोषणा भी कुछ ऐसी ही है। हैल्थ केयर के खर्चों को दोगुना करना भी इसी श्रेणी में आएगा। काँग्रेस को सुनिश्चित स्वास्थ्य योजना की बात करनी चाहिए थी। बीमारों को ही स्वास्थ्य लाभ नहीं बल्कि लोग कम बीमार पड़े, इस तरह का संकल्प होना चाहिए था। भाजपा का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी "संकल्प भारत, सशक्त भारत" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल को जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र को उसकी विचारधारा एंव भारत के बारे में कल्पना का व्यावहारिक दस्तावेज कह सकते है। किसान सम्मान योजना को छोड़कर अन्य कोई वायदा नहीं है जिसे लोक–लुभावन कह सके। सत्ता में कम करने के आए अनुभवों के कारण भाजपा ने घोषणाओं में काफी सतर्कता बरती है। विचारधारा के अनुरूप, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, संस्कृति का संरक्षण एंव सुशासन को मंत्र बताना अपेक्षित था। अपितु जम्मू कश्मीर से संबन्धित संविधान की धारा 35–अ

को समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा है। इसकी प्रतिक्रिया कश्मीर के नेताओं में देखने को मिल रही है। राम–मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी 2014 की तुलना में अधिक स्पष्ट है। एंव तीन तलाक के विरुद्ध हर हाल में कानून बनाने का संकल्प है। स्वातंर्त्ता के 75 वर्ष अर्थात 2022 तक की सीमा में जिन 75 लक्ष्यों को पूरा करने का वायदा ह। वह विकास एंव सामान्य व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। भाजपा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े 22 प्रमुख सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने हेतु योजना बना रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के नई स्कीम लकर आएंगे।

निर्धनता को समाप्त करना दोनों पक्षों के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वह अगले 5 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के प्रतिशत को एक अंक में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक कि शाखाओं, भुगतान बैंकों और बैंकिंग सवांदाताओं की प्रमुख पहुँच को सुनिश्चित करने के एक और नया कदम उठाया जाएगा। जिससे जन–धन और आधार प्लैटफार्म की सफलता पर एक नया डाटा शैयरिंग गोपनीयता ढाँचा तैयार होगा। काँग्रेस ने 2030 तक गरीबी को खारिज करने की योजना बनाई है। अपने लक्ष्य के भाग के रूप में, घोषणा की है कि वह देश के 20ः गरीब परिवारों को 72000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करेंगी।

लोकतंत्र की आधारिक इकाई नागरिक है। अतः हमें आर्थिक विकास के उस स्तर को छूना होगा, जहां से जन–भावनाओं का प्रतिनिधित्व हो सके। चुनावी– विमर्श के महत्व को नजरंदाज न करते हुए भी एक आधारिक समस्या का उल्लेख करना आवश्यक है। दलों ने जिन आर्थिक नीतियों को बड़े उत्साह से लागू किया, उनकी जो कमजोरियाँ अब दिखने लगी है। उस पर कोई विचार–विमर्श चुनावी घोषणा–पत्र में नहीं है। और न ही आर्थिक नीतियों की समीक्षा एंव परिवर्तन पर विचार–विमर्श है। इसलिए भाजपा पचास फीसद लाभ या पाँच साल में किसान की आमदनी दो–गुणी करने की घोषणा करे या काँग्रेस कर्जमाफी करे। यदि खेती–किसानी, गाँव–दहात, कमजोर और गरीब की सहायता करनी है तो लाखों किसानों को इस नई आर्थिक नीति की समीक्षा करना आवश्यक है। मार्क्स मानते थे की ऊपरी आवरण में चाहे जो परिवर्तन हो, यदि आधार नहीं बदलेगा तो वह धीरे– धीरे सब कुछ अपने रंग में रंग देता है। अपितु यह परिवर्तन भी राजनीतिक सत्ता से शुरू होता है। और यदि वह आर्थिक आधार को परिवर्तित करने की पहल न करे तो बाद में आर्थिक आधार उसे ही परिवर्तित कर देता है।

♦♦♦♦♦

2

# चुनाव घोषणा पत्रः अवधारणा और प्रासंगिकता

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में चुनाव आयोग ने 'घोषणापत्र दिशानिर्देश' पर राजनीतिक दलों के साथ विचार–विमर्श किया। 12 अगस्त 2013 को आयोग ने निर्वाचन घोषणापत्र के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी छह राष्ट्रीय दलों ने इस बैठक में भाग लिया, जिसम आयोग को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से चुनाव घोषणा पत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे आचार संहिता प्रारूप के भाग के रूप में शामिल किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, च्नाव आयुक्त श्री एच.एस.ब्रह्म और डॉ. नसीम जैदी ने भी राजनीतिक दलों द्वारा की गई प्रस्तुति को सुना। राजनीतिक दलों के विचारों को मुख्य रूप से चुनावी घोषणापत्र और मुक्तकंठों पर दिशा–निर्देशों के व्यापक रूपरेखा, राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी करने का समय, दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र, मुक्त के आश्वासन के कार्यान्वयन की व्यावहारिकता पर आमंत्रित किया गया था।

एक घोषणापत्र को आमतौर पर किसो व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल या सरकार के प्रयोजन, या विचारों की प्रकाशित घोषणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक घोषणापत्र में साधारणतया पहले से प्रकाशित राय या सार्वजनिक सहमति शामिल होती है जो भविष्य के लिए परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व निर्धारित धारणा के साथ यह एक नए विचार को बढ़ावा देता है। इस प्रकार एक चुनावी घोषणा पत्र एक प्रकाशित दस्तावेज होता है, जिसमें किसी राजनीतिक दल की विचारधारा, लक्ष्यों, विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा होती है। चुनाव घोषणापत्र आम तौर पर राजनीतिक दलों द्वारा आगामी चुनावों पर नजर रखते हुए तैयार करके प्रकाशित और भलीभांति से प्रचारित होते हैं। इसलिए यह जनता के लिए एक संदर्भ दस्तावेज या बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो एक राजनीतिक पार्टी के लिए है। राजनीतिक दलों की विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों की तुलना करके, मतदाता यह निश्चित कर सकते हैं कि उन्हें अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस दल

को मत देना चाहिए। स्वतंत्रता के उपरांत, हमारे देश में वर्ष 1952 से चुनाव हुए हैं, किंतु सभी राजनीतिक दलों को घोषणापत्र क प्रकाशन के माध्यम से अपनी विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रकाशित करने के लिए उपयोग नहीं किया गया था। प्रमुख राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं, नीतियों और कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से घोषणा पत्र के माध्यम से सार्वजनिक नहीं करते थे। यद्यपि, हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय और राज्य दल प्रत्येक आम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र प्रकाशित कर रही हैं, और ये घोषणापत्र साधारणतया दलों की मूल विचारधारा, प्रमुख नीतियों, अर्थात आर्थिक नीति, विदेश नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और मुद्दों के अतिरिक्त भी होते हैं।

विशेष बाधाओं वाले लोगों के लिए यह व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कृषि ऋणों को माफ करने, वृद्धों और असहाय किसानों के लिए पेंशन योजना, सुरक्षित पेयजल सुविधा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान जैसे उपायों तक ही सीमित नहीं हैं। लोगों की निर्दिष्ट श्रेणियों जैसे कि विधवा, वृद्धावस्था पेंशनभोगी, किसानों, बाल श्रम को समाप्त करने आदि के लिए चिकित्सा को भी शामिल करते है। इसके अतिरिक्त, कुछ दलों द्वारा हाल ही में एक नई प्रवृत्ति शुरू की गई ह, जिसमें वे स्पष्ट रूप से ऐसी वस्तुओं का आश्वासन देते हैं जिन्हें सामान्य भाषा में अनुबंध किया जाता है। 'मुफ्त' के रूप में, जो बिना किसी शुल्क के दिया गया है। ये आश्वासन मतदाताओं के लक्षित समूहों जैसे बीपीएल परिवारों, समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, विकलांगों आदि के साथ–साथ एक साथ मतदाता के रूप में लक्षित हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन और निर्देशः

सर्वोच्च न्यायालय न 5 जुलाई 2013 के अपने निर्णय में कहा कि भारत के चुनाव आयोग को चुनाव घोषणा पत्र पर दिशा–निर्देशों को आचार आदश संहिता के भाग के रूप में सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव घोषणापत्र में आश्वासन को आर.पो अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में नहीं माना जा सकता है, इस वास्तविकता को अस्वीकृत नहों किया जा सकता है कि वितरण निःशुल्क किसी भी तरह का, सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार को भी अधिकतर प्रभावित करता है। इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चुनाव घोषणा पत्र की सामग्री को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है, हम इसके लिए

चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने का निर्देश देते हैं, जैसा कि सामान्य आचरण के लिए दिशा–निर्देश तैयार करते समय किया गया था। उम्मीदवार, बैठक, ज़ुलूस, मतदान दिवस, सत्ता में दल आदि इसमें सम्मिलित थे। इसी तरह, एक राजनीतिक दल द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र के दिशा–निर्देशों के लिए एक अलग राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए उसे आदर्श आचार संहिता में सम्मिलित किया जा सकता है। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि सामान्यतः राजनीतिक दल चुनाव की तारीख की घोषणा से पूर्व अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, उस स्थिति में, दृढ़ता से बोलते हुए, चुनाव आयोग के पास किसी भी अधिनियम को विनियमित करने का अधिकार नहीं होगा जो तारीख की घोषणा से पूर्व किया जाता है। अंततः, इस संबंध में एक अपवाद किया जा सकता है क्योंकि चुनाव घोषणापत्र का उद्देश्य स्पष्टतः चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इसके द्वारा हम चुनाव आयोग को यह निर्देश देते हैं कि वह इस कार्य को तीव्रता पूर्ण करे। हम अपने लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक दलों को शासित करने के लिए इस संबंध में एक पृथक कानून की आवश्यकता को विधायिका द्वारा पारित करने की आवश्यकता भी अंकित करते हैं।

वर्तमान संरचना आचार संहिता में दलों और उम्मीदवारों द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं पर कुछ प्रासंगिक प्रावधान सम्मिलित हैं और सत्ता में दल द्वारा आश्वासन से संबंधित हैंः सभी दलों और उम्मीदवारों को सभी गतिविधियों पर नजर रखने से बचना चाहिए जो कि भ्रष्ट आचरण और चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हैं, जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं को प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर सार्वजनिक मतदान करना, मतदान के समापन, मतदान केंद्र के लिए, मतदाताओं के परिवहन और आवागमन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के अंतराल बैठकें सत्ता में दल अन्य बातों के साथ निश्चित करती है कि केंद्र या राज्यों में सत्ता में रहने वाले दल यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी शिकायत के लिए कोई कारण नहीं दिया जाए कि उन्होनें अपने चुनाव अभियान के उद्देश्यों और विशेष रूप से अपने आधिकारिक पद का प्रयोग किया है–

1. मंत्री और अन्य अधिकारी आयोग द्वारा घोषित किए गए समय से विवेकाधीन धन में से अनुदान, भुगतान को मंजूरी नहीं देंगें।
2. आयोग द्वारा घोषित चुनावों के समय से मंत्री और अन्य अधिकारी नहीं होंगे – किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करें या उसके वादे करें।

3. (सिविल सेवकों को छोड़कर) किसी भी प्रकार की योजनाआं या परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं।
4. सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं के प्रावधान आदि का कोई आश्वासन किया जाए।
5. सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति करें, जिसका प्रभाव सत्ता में दल के मतदाताओं को प्रभावित करने में हो सकता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चुनावपत्र घोषणा लोकतंत्र के रूप को भ्रमित करने का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है जिसके आधार पर जनता द्वारा चुनाव में उत्तरदायी सरकार का चुनाव करना भी लोकतंत्र को भ्रमित कर करके शासन और शासित दोनो को प्रभावित करने का मार्ग प्रशस्त करते है।

♦♦♦♦♦

3

# चुनाव घोषणा पत्रः राजनीतिक दलों का चुनावी यंत्र

**शिम्पी पांडे**

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

राजनीति में चुनावों का अहम स्थान है तथा लोकतांत्रिक देश होने के साथ ही चुनावों में मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में चुनावों के आयोजन का कार्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संविधानिक निकाय है। चुनाव आयोग केंद्र और राज्य के चुनावों का ना केवल आयोजन करता है बल्कि उसका संचालन, प्रशासन, निर्देशन एवं निरीक्षण भी करता है। चुनाव आयोग भारत में चुनावों के पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग का यह कार्य है कि वह एक निश्चित समय अंतराल पर नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करे। चुनावों के कार्यान्वयन की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।

चुनावों में धन के अत्यधिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, राजनीतिक दलों के लिए नियमों का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना अथवा उसे निरस्त करना, प्रत्याशियों के नामांकन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, मार्गदर्शन करना, निर्देश देना और नियमों का उल्लंघन करने पर राजनीतज्ञों से जवाबदेयता प्राप्त करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को प्राप्त है। भारतीय लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनावों में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं।

भारत में मतदाता ही निर्णायक है क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता अथवा असफलता मतदाताओं पर निर्भर करती है। मतदाताओं के मनोभाव को प्रभावित करने हेतु विभिन्न राजनीतिक दल रैलियों, जुलूसों एवं भाषण के दौरान दल के भावी कार्यक्रमों का उल्ल्लेख करते हैं। जिस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों, चुनाव अचार संहिता का महत्वपूर्ण है उसी प्रकार चुनाव घोषणापत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। घोषणापत्र के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न घोषणाएं की जाती हैं। चुनावी घोषणापत्र उन भावी उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों

एवं योजनाओं की रूपरेखा है जिसे विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों के प्रचार–प्रसार के दौरान जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि चुनाव में सफलता मिलने एवं सरकार बनाने के पश्चात वह उन योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे जिनका वर्णन घोषणापत्र के अंतर्गत किया गया है। घोषणापत्र में राजनीतिक दल की विचारधारा का भी समावेश होता है। घोषणापत्र मतदाताओं को दल की नीतियों से अवगत कराने का माध्यम है। राजनीतिक दलों के द्वारा घोषणापत्र जारी किया जाना समकालीन परिघटना है क्योंकि पहले के समय में घाषणापत्र जारी नहीं किए जाते थे।

घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य आम जनता एवं मतदाता को नीतियों से अवगत कराना तथा साथ ही अपने दल के प्रति आकर्षित करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दलों का यह उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक मतदाता उनके प्रचार–प्रसार से प्रभावित हों और चुनावों में सफलता दिलायें। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के प्रचार के दौरान आम जनता को यह आश्वासन दिया जाता है कि वह उन योजनाओं को कार्यांवित करेंगे जिनका वर्णन घोषणापत्र में किया गया। घोषणापत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं समाज कल्याण से संबंधित वृहत योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय–समय पर निर्वाचन आयोग और चुनावी घोषणापत्र हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को भ्रमित ना करें और घोषणापत्रों में वास्तविक कार्यक्रमों का ही उल्लेख करें। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि घोषणापत्र में आश्वासन भ्रष्ट आचरण के रूप में नहीं होना चाहिए। घोषणापत्रों में बहुत से निरूशुल्क उपहारों और वस्तुओं का भी उल्लेख कर दिया जाता है जो मतदाताओं को आकर्षित और प्रभावित करता है। राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वह चुनाव प्रचार में धन, शराब, अथवा निरूशुल्क वस्तुओं का वितरण वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो दंड का प्रावधान भी निश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणापत्र को चुनाव आचार संहिता में सम्मिलित किये जाने का निर्देश दिया।

यद्यपि सभी राजनीतिक दलों को घोषणापत्र के विमोचन के तीन के भीतर ही इसकी प्रतिलिपि को निर्वाचन आयोग में जमा करना आवश्यक है। घोषणापत्र की योजना और कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता के नियमों के आधार पर ही होना चाहिए। हालांकि घोषणापत्र कानूनी रूप से

प्रवर्तनीय नहीं होते इसी कारण यह मात्र योजनाओं का अमूर्त रूप होते हैं जिसकी प्रासंगिकता पर संदेह भी होता है। वर्तमान में आवश्कता है कि घोषणापत्रों में वास्तविक नीतियों और योजनाओं का उल्लेख किया जाए और मतदाताओं को भ्रमित अथवा मात्र प्रभावित नहीं करना चाहिए अपितु सुनुयोजित ढंग से सरकार को कार्य करना चाहिए।

समकालीन 17वीं लोकसभा चुनावों में भारत की प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल, साम्यवादी दल, साम्यवादी दल (ड), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के द्वारा व अन्य क्षेत्रीय दलों के द्वारा घोषणापत्रों का विमोचन किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा शिक्षा, तकनीकी, महिला सुरक्षा, कृषि, उद्योग, सड़क, परिवहन, दलितों के लिए कल्याणकारी योजनायें, व्यापार संबंधी वृहत योजनाओं का निरंतर उल्लेख जाता है।

यदि 2019 लोकसभा चुनावों के घोषणापत्रों का विश्लेषण करे तो यह प्रतीत होता है कि विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को भी महत्व दिया गया है। शुद्ध वायु, जल संकट, अपशिष्ट प्रबंधन आदि मुद्दों को भी महत्व दिया गया है। इन घोषणापत्रों की सराहनीय बात यह है कि इस बार अधिकांश राजनीतिक दल पर्यावरणीय मुद्दों को महत्व दे रहे हैं और एक विशेष मुद्दे के रूप में इसे घोषणापत्र में सम्मिलित किया गया है। यह राजनीति में एक बदलाव को उजागर करता है जो यह स्पष्ट करता है कि पर्यावरण भी राजनीति का अभिन्न अंग है।

घोषणापत्र के आधार पर जनता को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य किसी एक दल का चयन कर सके। मतदाता घोषणापत्रों में वर्णित योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर सकता है और महत्वकांक्षा एवं अपेक्षाओं के आधार पर निर्णय लेता है कि किस दल को सरकार के रूप में देखना चाहता है। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है और सभी दल प्रयासरत होते हैं कि उन्हें सत्ता प्राप्त हो सके।

इस कारण राजनीतिक दलों का यह निरंतर प्रयास रहता है कि आकर्षक और प्रगतिशील घोषणापत्र मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करे और उन्हें अपनी नीतियों से अवगत करायें। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद भावी सरकार घोषणापत्र के वचनों और वायदों को

किस सीमा तक पूरा करता है वह सरकार के कार्यकाल के भावी वर्षों में सिद्ध होगा। किंतु घोषणापत्र की प्रासंगिकता सदैव विद्यमान रहती है। घोषणापत्र की प्रासंगिता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल यह सिद्ध करें कि जिन याजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन घोषणापत्र में किया गया है वह कितने वांछनीय हैं और किन माध्यमों के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक दलों को साध्य के साथ–साथ साधन का भी वर्णन करना आनिवार्य बनाना चाहिए।

♦♦♦♦♦

# 4

# चुनाव घोषणा पत्रः औपचारिकता, व्यवहारिकता एवं वास्तविकता

राम किशोर

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय अन्य दलों से अत्यधिक मत प्राप्त करने के लिए चुनाव सभा एवं समारोह कर मतदाताओं के सामने च्नाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता हैं। मतदाताओं को बताया जाता है कि यदि हमारे दल ने सरकार बनायी तो हमारी सरकार द्वारा आने वाले पांच वर्षों में जनहित के लिये क्या–क्या कार्य किये जायेगें? वर्तमान समय में लोकतंत्र में एक प्रकार से राजनीतिक दलों के लिये 'चुनाव घोषणा पत्र' प्रकाशित करना राजनीतिक बाध्यता हो गई है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं आने वाले पाँच वर्षों में उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों से मतदाताओं को अवगत कराते हैं।

देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि घोषणा पत्र केवल कागज के टुकड़े साबित होते हैं। यह कथन उन्होंने आर्थिक सुधारों के संदर्भ में चुनावी मुद्दे नामक संगोष्ठी में कहा, साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र को गम्भीरता से न लेने की प्रवृत्ति पर चिंता प्रकट की। यद्यपि किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र ऐसे ही तैयार नहीं कर किया जाता, अपितु इसके लिये राजनीतिक दलों द्वारा नियमानुसार घोषणा पत्र समिति का गठन किया जाता है। समिति द्वारा देश एवं राज्य की समस्त परिस्थितियां एवं जनता के भाव आदि पर गंभीर विचार विमर्श किया जाता है एवं उसके पश्चात दल का घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। अधिकतर मतदाता भले ही घोषणा पत्र न पढ़ते हों किंतु राजनीतिक दल चुनाव सभाओं में जनता को अवगत कराती चलती है कि वह सरकार में आई तो पाँच वर्ष में क्या–क्या कार्य करेगी? अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जनता यह जानना चाहती है कि कोई राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस दल की सरकार जनहित में क्या–क्या कार्य करेंगी, चाहे उसे यह न पता हो कि यह सब किसी घोषणा पत्र में लिखित में है।

सामान्य भाषा में इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा जनता को अपनी भविष्योन्मुखी कार्यों एवं नीतियों को समारोह, चुनाव सभाओं एवं घोषणा पत्र के माध्यम सें अवगत कराने की प्रक्रिया को

वचन कहा जाता है एवं सरकार में आने पर यदि कोई दल इन वचनों को पूर्ण न करे तो इसे पार्टी का वादाखिलाफी कहा जाता है। अगले चुनाव के बीच–बीच में प्रतिपक्ष वायदाखिलाफी का आरोप लगाते चलता है। विपक्ष अपने कार्यक्रमों में, सभाओं में सतारूढ़ दल पर वायदाखिलाफ को लेकर आक्रमक भी होता है यह राजनीतिक कर्म है, हर पार्टी ऐसा करती है। सत्तारूढ़ दल को सावधानी बरतनी पढ़ती है। कई बार सत्तारूढ़ दल बचाव के लिये इसकी आड़ लेता है कि अभी तो दो साल ही या तीन साल ही हुए हैं। घोषणापत्र में किये गये वायदे पाँच साल में पूरे करने है, सो अभी समय है। क्या घोषणा पत्र केवल औपचारिकता बन जाता है? क्या राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र की नीतियों का व्यवहारिक रूप दिया जाता है? क्या वास्तव में घोषणा पत्र अपनी परिभाषा को साकार कर पाता है?

मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर देश के किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस चुप्पी का क्या यह तात्पर्य समझा जाए कि राजनीति दलों की इस कथन पर स्वीकृति है, अर्थात राजनीतिक दल मानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जनता को मोहने एवं भ्रमित करने के लिए है। जनता का पत चाहिये इसलिए लोकलुभावन वायदे कर दिये जाये–सत्ता में आये फिर लिखे को मिटा दिया। या यह माना जाय कि जनता कहां घोषणा पत्र पढ़ती है। बहरहाल चुनाव घोषणा पत्र केवल रस्म अदायगी तो है नहीं न कोई कर्मकांड है, यह एक जरूरी दस्तावेज होता है।

जो दल सत्ता में आता है उस पर अपने घोषणा पत्र को लागू करने का उत्तरदायित्व आ जाता है। कुछ राजनीतिक दलों में नियमानुसार 'घोषणा पत्र क्रियान्वयन' समिति का गठन भो किया जाता है। अर्थात यह समिति दल के घोषणा पत्र को पढ़ती है, समझती है और एक–एक बिन्दु पर ध्यान देती है। सरकार घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में क्या कर रही है। घोषणा पत्र के कितने बिन्दु एक वर्ष में पूरे किये गये, दो वर्ष में क्या–क्या किया गया आर जैसे–जैसे वर्ष आगे बढ़ते जाते है, अर्थात चुनाव वर्ष पास आता जाता है, 'घोषणा पत्र क्रियान्वयन' समिति अपना कार्य तीव्र करने लगती है और सरकार को आवश्यक निर्देश देती रहती है।

अर्थात कोई भी दल जो सत्ता में आता है वह चुनाव घोषणा पत्र में लिखे वचनों को सहजता से नहीं लेता। यह अलग बात है कि उन्हें अथवा उनमें से कुछ को पूरा न करने के लिये सत्तारूढ़ दल बहाने खोज लेता है, यह भी एक राजनीतिक चतुराई है। राजनीति तो जो कर्म करती है उसका ढिंढोरा पीटती है, जनता को आकर्षित करती है लेकिन वायदा कर जो काम या जो–जो

काम न कर पाई हो उसके लिये बहाने खोजने लगती है। मतलब कर न पाने के भी कारण तलाश लेने में राजनीति बड़ी चतुर है और जनता को विश्वास दिला देती है कि किन कारणों से वायदे पूरे नहीं किये जा सके– मतलब जनता फिर भरोसा रखे। अगली बार सब पूरा करने का पक्का वायदा कर देता है।

अर्थात हम कह सकते है कि राजतंत्रोय व्यवस्था में राजा के लिये घोषणा पत्र जारी करना बाध्यकारी नहीं था, परंतु आवश्यकता के अनुसार वह जनहित के कार्य करते चलता था जैसे –कुआं, बावड़ी खुदवाना, सडकें बनवाना पेड़ लगाना आदि–आदि लेकिन लोकतंत्रोय व्यवस्था में में चुनाव से पूर्व कोई राजनीतिक दल लिखित में घोषणा करे कि वह सत्ता में आने पर ये–ये कार्य करेगा तो उसे करना चाहिये, न करना लोकतांत्रिकता को अंगूठा दिखाना हुआ। यदि हम पूर्व में देखे तो ऐसे विभिन्न उदाहरण है जिनमें राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावी सभा एवं समारोह कर जनता को अपने घोषणा पत्र में किए गए वचनों से अवगत कराया, परंतु सत्ता प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र में किए गए अपनों वचनों को पूर्ण नहीं किया।

♦♦♦♦♦

# 5

## चुनाव घोषणा पत्र के कानूनी क्रियान्वयन की आवश्यकता

डॉ. अमित अग्रवाल

सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय

चुनावों से पहले सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपना चुनावी घोषणा पत्र (मैनीफेस्टो) जारी करती हैं किंतु जीतने के बाद घोषणाओं को पूरा नहीं करतीं। जनता को आकर्षित करने हेतु राजनीति तो जो कर्म करती है उसका ढिंढोरा पीटती है, लेकिन वायदा कर जो काम न कर पाई तो उसके लिये बहाने खोजती है। क्या लोकतंत्र में एक तरह से राजनीतिक दलों के लिये 'चुनाव घोषणा पत्र' जारी करना राजनीतिक मजबूरी हो गई है। राजनेता बड़े चतुर है, अगली बार सब पूरा करने का जनता से पक्का वायदा कर देते है। कैसे चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी दस्तावेज बनाया जाए और जनता को ठगने से बचाया जा सके।

विश्व इतिहास में 'मैनीफेस्टो' शब्द का पहली बार प्रयोग सौलह सौ बीस में अंग्रेजी में मिलता है। 'हिस्ट्री ऑफ द कौंसिल आफ ट्रेंट' नामक पुस्तक में इसका जिक्र आता है। इस पुस्तक के लेखक पावलो सार्पी थे। 'मैनीफेस्टो' शब्द की उत्पत्ति दरअसल इटली का शब्द है जो लैटिन के 'मैनी फेस्टम' शब्द से निकला है। आधुनिक भारत का पहला घोषणा पत्र राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की उन्नीस सौ सात में छपी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' को माना जाता है। 'मैनीफेस्टो' शब्द का अर्थ दरअसल 'जनता के सिद्धान्त और इरादे' से जुड़ा है पर लोकतांत्रिक समाज में यह राजनीतिक दलों से जुड़ गया है। विश्व प्रसिद्ध चिंतक कार्ल मार्क्स की तथा फ्रेड्रिक एंजिल्स की अट्ठारह सौ अड़तालीस में छपी चर्चित पुस्तक 'द कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो' से पहले भी इस तरह का मैनीफेस्टो निकल चुका था पर वह किसी राजनीतिक पार्टी का घोषणा–पत्र नहीं था।

राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें मतदाताओं को बताया जाता है पार्टी सत्ता में आई तो पाँच साल में जनहित के क्या–क्या काम करेगी अर्थात चुनाव घोषणा पत्र भविष्य में किए जाने कार्यों की संक्षिप्त रुपरेखा मात्र है। पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिये पार्टी बाकायदा एक समिति का गठन करती है जिसकी नियमित बैठकें होती हैं। देश की

सारी राजनीतिक व अन्य परिस्थितियों और जनता के मूड आदि पर गंभीर मंथन कर पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाता ह। ज्यादातर शिक्षित जनता भले घोषणा पत्र न पढ़ती हों लेकिन पार्टी के नेता चुनावी सभाओं में घोषणा पत्र को जनता के सामने रखते है कि वह सत्ता में आए तो पाँच वर्ष में क्या–क्या कार्य होगें। सामान्य बोलचाल की भाषा में पार्टी का 'वायदा' कहा जाता है और सत्तारूढ़ दल इन वायदों को पूरा न करे तो इसे जनता से 'वादा खिलाफी' कहा जाता है।

विपक्ष अपने कार्यक्रमों में और सभाओं में सतारूढ़ दल पर वायदा खिलाफी के आरोप को लेकर आक्रमक भी होता है और सत्तारूढ नेताओं को जुमलेबाज़ तक कह देते है। सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल पर आरोप लगते कि यह कार्य नहीं करने दे रहे है। यह राजनीतिक कर्म है, हर पार्टी ऐसा करती है। सत्तारूढ़ दल को सावधानी बरतनी पढ़ती है। सत्तारूढ़ दल बचाव के लिये कई बार पर्याप्त समय नहीं मिला की आड़ लेता है कि अभी तो दो साल या तीन साल ही हुए हैं। घोषणा पत्र में किये गये वायदे तो पाँच साल के लिये है अथवा पाँच साल का समय कम था पाँच साल और दीजिए।

देश के मुख्य न्यायाधीश ने 2013 में कहा कि घोषणा पत्र केवल कागज के टुकड़े साबित होते हैं। यह बयान उन्होंने आर्थिक सुधारों के संदर्भ में चुनावी मुद्दे नामक में सेमिनार दिया। राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र को गम्भीरता से न लेने की प्रवृत्ति पर चिंता भी जताई है। क्या चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव जीतने के पश्चात रद्दी कागज का टुकड़ा बन जाता है? यह गंभीर प्रश्न है। राजनीतिक दल मानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जनता को मोहने या छलने के लिए है। जो दल सत्ता में आता है उस पर अपने घोषणा पत्र को लागू करने की जवाबदेहो आ जाती है।

कुछ राजनीतिक दलों में बकायदा 'घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति' का गठन भी किया जाता है। लोकतंत्र में चुनाव से पूर्व कोई दल चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लिखित में घोषणा करे कि वह सत्ता में आने पर बहुत काम करेगा, किन्तु कार्य न करे तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता को अँगूठा दिखाना हुआ। सत्तारूढ़ दल का रवैया ऐसा क्यों है उसके नीति निर्धारक जाने। यह सोचनीय स्थिति है कि राजतंत्र में राजा जरूरत के अनुसार वह जनहित के काम करते थे। लोकतंत्र में संवेदनशीलता, केवल भाषण की नहीं होती अपितु लोकतंत्र 'तंत्र' पर

विश्वास का अवसर देती है। चुनावी घोषणा पत्र के कार्यों को पूरा न करना जनता से विश्वासघात है, जो जनता के सामुहिक हितों पर कुठाराघात है।

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता मिथिलेश कुमार पांडेय ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी और माँग की थी के राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किये गए घोषणापत्र को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। (टाइम्स ऑफ इंडिया में मार्च 29, 2015 को छपी खबर के अनुसार) इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्ता और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने जनहित याचिका को करन सुनने से इनकार करते हुए कहा था क्या कानून में कोई प्रावधान है जो घोषणा पत्र में किए गए वादे एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ लागू करने योग्य बनाता है?" इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता की अदालत में मुमकिन है, पीठ ने कहा कि न्यायपालिका राजनीतिक प्रणाली में हर समस्या का इलाज नहीं कर सकती है।

घोषणा पत्र में किये गए वादों को अगर सत्ता में आने के बाद राजनीतिक पार्टियाँ पूरा नहीं भी करती हैं तो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना मुश्किल है। अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि अदालत को राजनीतिक दलों द्वारा किए गए झूठे और गैरकानूनी वादों को रोकने के लिए घोषणापत्र तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए। 2014 के आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) तैयार किया गया था जिसमें कहा गया था कि पार्टियों को अपने घोषणा पत्रों में ऐसे वादे करने से मना किया गया था जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालें।

हालाँकि, बहुत तथ्य यह है कि आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, जिसके चलते इस तरह के दिशानिर्देशों का पालन मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कई बार राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्र को कानून के दायरे में लाये जाने के लिए कई नेताओं और सामाजिक संस्थानों ने कोशिश तो की लेकिन इसका हल नहीं निकल सका।

बहरहाल केन्द्र व राज्यों सरकारों को अपने घोषणा पत्र को एक बार फिर पलटना चाहिये और उसमें में जो लिखा वह पूरा जल्द करना चाहिए। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गाँधी ने भी हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिख कर यह वकालत की थी कि 'राजनीतिक पार्टियों को उनके चुनावी घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।' संसद संविधान संशोधन

के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को उनके चुनावी घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह बना सकता है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1884 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसके आधार हो सकते है। 17 वीं लोक सभा का गठन तभी सार्थक होगा जब राजनीतिक पार्टियाँ चुनावी घोषणा पत्र के कानूनी क्रियान्वयन की आवश्यकता को समझे।

♦♦♦♦♦

# 6

# कांग्रेस का '2019 लोक सभा चुनावी घोषणा पत्र' मतदाता को लामबंद करने का आर्थिक आयाम

अजय कुमार शाह

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत एक प्राचीन लोकतान्त्रिक देश हैं, यहाँ आजादी के बाद अनेकों लोकसभा, विधानसभा व पंचायत स्तर पर चुनाव हुए व होते आ रहे है। हर स्तर के चुनाव में प्रत्येक दल व प्रत्येक उम्मीदवार मतदाता को अपनी तरफ मत करने के लिए अनेक वादे व घोषणा करते है। इसी घोषणा व वादे पर लोग व लोगों का समूह लामबंद हो उस दल को मत देते है। समान्यतः लामबंद का अर्थ है लोगों का समूह जो किसी विशेष गतिविधि के लिए संगठित होते हो। लामबंदी जीवित लोकतन्त्र का आधारभूत तत्व होता हैं, जो लोकतन्त्र को नए–नए आयाम देता हैं। राजनीतिक दल हो या अराजनीतिक संगठन, वह किसी भी मुद्दों पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लामबंद के विभिन्न आयाम को अपनाते है। राजनीतिक दल मत की प्राप्ति के लिए राजनीतिक लामबंद के आयाम को धरातल पर व्यवहारिक रूप देते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अनुसार जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, शिक्षा, पानी, बिजली, घर, शौचालय बनाने, सड़के बनाने, नाले बनाने, रोजगार, भ्रष्टाचार, रोजगार, आदि अनेक मुद्दों के माध्यम से इस समूह को लामबंद करने कि कोशिश करते हैं।

कांग्रेस ने सत्रवहीं लोकसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र 'हम निभाएंगे' नाम से जारी किया। इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए और पार्टी अध्यक्ष राहुल गाँधी ने दावा किया की कोई भी वादा झूठ पर आधारित नहीं है। वर्तमान सरकार जहाँ गरीब किसानों को सालाना 6000 आर्थिक सहायता कई शर्तों पर देती है। वही कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में मत प्राप्त करने के लिए आर्थिक आधार पर जनता से कुछ वादे किए–

1. भारत के सबसे गरीबी 20 फीसदी परिवारों को न्यूनतम आय योजना यानी न्याय के तहत हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे।

2. मनरेगा के तहत जहां लोगों को 100 दिन रोजगार मिल गए होंगे वहां इसे बढ़ाकर 150 दिन तक कर दिया जाएगा।
3. 2019 से 2024 के बीच 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा 2030 तक किसी को भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहने दिया जाएगा।
4. जो किसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ रहेगा/रहेगी उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा।
5. खेती किसानी से जुड़े मुद्दों को प्राथामिकता देने के लिए अलग से किसान बजट पेश किया जाएगा।

बीजेपी सरकार की 'नाकाम' फसल बीमा योजना को बदला जाएगा. किसानों के नाम पर केवल इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। हम इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देंगे कि वो न लाभ और न हानि के सिद्धांत पर किसानों को बीमा मुहैया कराएं।

आदि कई आर्थिक मुद्दों पर लोगों को लुभाने को भरपूर कोशिश की जा रही हैं। प्रश्न यह उठता हैं क्या मतदाता इस आर्थिक मुद्दों पर लामबंद हो कर कॉग्रेस को मत देंगे? 1971 के चुनाव में भी कॉग्रेस पार्टी ने 'गरीबी' हटाओ का नारा दिया था और मतदाता उस वादे व नारों से लामबंद होकर कॉग्रेस को मत दिये थे। क्या फिर से कुछ ऐसा करिश्मा दोहराया जा सकता। यह बहुत मुश्किल प्रतीत होता हैं, क्योकि पहले के नेतृत्व व अब ने नेतृत्व बहुत अंतर हैं। इस घोषणा पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की राहुल गाँधी ने अपने छल।ल (न्यूनतम आय योजना) पर अधिक जोर दिया है। न्याय के जरिए कांग्रेस गरीबी पर वार करने की योजना बना रही है. देश के 20ः गरीब परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में छल।ल योजना के तहत सीधे 6000 रुपये मिलेंगे। पांच साल में एक गरीब परिवार को छल।ल के तहत 3.60 लाख रुपये मिलेंगे। क्या यह व्यावहारिक हो पाने वाली घोषणा है या गरीब के मत को लामबंद करने का एक आर्थिक आयाम है।

भारतीय राजनीतिक को गौर से देखे तो पाएगे की 1980 से पहले गरीब लोग मतदान संसाधन की प्राप्ति के लिए मत करते थे। जैसे 1971 के चुनाव मे देखने को मिलता है, जो दल इन लोगों को संसाधन उपलब्ध करा दे जनता उसे अपना मत दे देती थी। परंतु फिर 1980 के बाद भारतीय राजनीति मे कई बदलाव आए, गरीब मतदाता अब अपने संसाधन हित को गौण कर जाति, पहचान, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर मत करने लग गए हैं।

इस परिवर्तन के कई कारण है, जिसमें से प्रमुख कारण है, कि राजनीतिक दल गरीब मतदाताओं की जाति, पहचान, भाषा, संप्रदाय व सामाजिक सेवा के नाम पर लामबंद कर उनका मत प्राप्त करते है, इसलिए यह आर्थिक आयाम अब सफल नहीं हो पाता। क्या भारतीय राजनीति भी कुछ इसी तरह प्रतीत नहीं हो रही? वह तो परिणाम ही तय करेगा की आजकल आर्थिक आयाम से मतदाताओं का लामबंद करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। इस तरह का मत–व्यवहार भारतीय राजनीति में बदलाव के प्रबल संकेत दे रहे हैं।

♦♦♦♦♦

**7**

# कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र 2019 का विश्लेषण

राहुल शर्मा

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

कांग्रेस द्वारा जारी किया गया 55 पृष्ठों का यह घोषणा पत्र काफी विस्तृत है और यह संही भी है क्योकि जितनी स्पष्टता से मुद्दों के बारे में बात की जाये, उतना ही सही है यह निर्धारित करने के लिए की जो वादे किये जा रहे है वे विश्वसनीय है भी या नही। घोषणा पत्रों में कई सारी चीज़े काफी घुमा फिरा के लिखी जाती है इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में वर्णित वायदों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. वे वायदे जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है।
2. वे वायदे जिन्हें आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है या जिन्हें लागू करने में कई मुश्किले आएँगी।
3. अन्य वायदे जिनकी स्तिथि स्पष्ट नहीं है यदि इन्हें लागू किया जाये तो क्या होगा।
4. वे अति आवश्यक मुद्दे जिन्हें लागू कर पाना लगभग असंभव है।

वे वायदे जिन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है।

1. वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वास्थ आपातकाल घोषित किया जाएगा।
2. नया पर्यावरण सरंक्षण प्राधिकरण (इ.पी.ए.) स्थापित किया जाएगा।
3. लोकपाल को लागू किया जाएगा।
4. पूरे भारत में देशद्रोह की धारा को हटाया जाएगा।
5. आधार कार्ड को स्वैच्छिक बनाया जाएगा।
6. अलग से ग्रीन बजट तैयार किया जाएगा।
7. पांडिचेरी को पर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में बात कही गई है।
8. आंध्र प्रदेश और पूवीत्तर राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में वायदे किए गए हैं।
9. नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा।

10. कम से कम 50 : ईवीएम मशीनों के परिणामों को वीवीपैट द्वारा प्रमाणित कराए जाने के बारे में भी वायदा किया गया है।

यहाँ विशेष बात यह है की कांग्रेस द्वारा देशद्रोह की धारा को हटाए जाने के संदर्भ में यह कारण प्रस्तुत किया जा रहा है कि देशद्रोह की धारा को वर्तमान में इस प्रकार से प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह लोगों की आवाजों को दबाने का शस्त्र बन गई हो, और वर्तमान में जैसे इसका और कोई प्रयोग हो ही ना रहा हो। इसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में कोई भी विचार अभिव्यक्त नहीं किया गया है। जबकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग एक ऐसी मांग रही है जिसके बारे में हर राजनीतिक दल ने आवाज उठाई है कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में इसके बारे में कही कोई बात नहीं की गयी है।

वे वायदे जिन्हें आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है या जिन्हें लागू करने में कई मुश्किले आएँगी।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल के साथ–साथ को विज्ञान एवं अनुसंधान को प्राथमिकता दी गयी है इसमें इन्होंने यह बड़े स्पष्ट रूप में बताया है कि वे क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं।

1. कांग्रेस द्वारा यह कहा गया है कि 2023 तक शिक्षा बजट को जीडीपी का 6: किया जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीडीपी का 3: और विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए जीडीपी का 2: आवंटित किया जाएगा, जबकि 2018 में केवल 3: जीडीपी शिक्षा पर और 1.5: जीडीपी स्वास्थ्य देखभाल पर आवंटित किया गया है कांग्रेस के द्वारा किए गए इस वायदे पर यह सीधा सीधा देखा जा सकता है कि यह वर्तमान बजट का लगभग दोगुना है इसलिए इसे पूरा कर पाना इतना आसान नहीं है।
2. रोजगार के मुद्दों पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार में चार लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों को 2020 तक भर्ती कर लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त बाकी अन्य सरकारों की खाली पड़ी 22 लाख भर्तियां जनवरी 2020 तक, और पुलिस में जितनी सरकारी नौकरियों की भर्ती चाहिए वह सभी नवंबर 2020 तक पूरी कर ली जाएंगी, और सरकारी अस्पतालों में जो भी नौकरियां किसी भी स्तर पर खाली है उन्हें भी मई 2020 तक पूरा भर लिया जाएगा।

3. भारत में जो वन संरक्षित 21: भाग है उसमे 2025 तक 25: तक वृद्धि की जाएगी, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचा दी जाएगी, 2021 तक हमारा वित्तीय घाटा भी 3: तक कम कर दिया जाएगा जबकि वर्तमान में यह घाटा जीडीपी का 3.4: है।
4. 2024 तक में 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है।
5. संस्थानों को और अधिक विकेंद्रित बनाया जाएगा और इन्हें अधिक स्वतंत्र बनाया जाएगा।
6. पुलिस बलों को अधिक विकेंद्रित किया जाएगा और पुलिस व्यवस्था में सुधार भी किए जाएंगे।
7. पुलिस बल की स्पेशल विंग बनेगी जो भीड़ की हिंसा (मोब लिंचिंग) और घ्रणित अपराध (हेट क्राइम) के मुद्दों को जांच करेगी।

यह सब कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन सब को करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में धनराशि चाहिए जिसके लिए पैसा कहां से आएगा और क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आती है, अतः केंद्र सरकार में होकर इसे राज्य सरकारों द्वारा इसे कैसे लागू किया करवाया जाये, यह पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए कर पाना जटिल कार्य है।

अन्य वायदे जिनकी स्तिथि स्पष्ट नहीं है यदि इन्हें लागू किया जाये तो क्या होगा। इस वर्ग में हम उन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इनके परिणाम सकारात्मक होंगे अथवा नकारात्मक यानि की इन मुद्दों की स्थिति कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं है।

1. जीएसटी के नए रूप जीएसटी 2.0 को लाने की बात की जा रही है जिसमे केवल एक टैक्स होगा जिसमे अन्य स्तर पर जो टैक्स लगता है उसे एक बना दिया जाएगा।
2. नीति आयोग को समाप्त करके, एक नया योजना आयोग बनाया जाएगा, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 100 होगी।
3. एक नई एजेंसी बनाई जाएगी जो फेक न्यूज़ (झूठे समाचार) और हेट स्पीच (घृणित वाचन) को रोकने के लिए कार्यरत होगी जिसके द्वारा उन लोगों को दंडित किया जाएगा जो सोशल मीडिया पर गलत समाचार फैलाते हैं।
4. निर्मल भारत अभियान को पुनरू स्थापित किया जाएगा।
5. कश्मोर घाटी में सेना की उपस्थिति को कम किया जाएगा और इनकी तैनाती ज्यादातर बॉर्डर क्षेत्रों में होगी।
6. अफस्पा को समीक्षा करेंगे और उसमें उपयोग परिवर्तन करेंगे।

इन मुद्दों में स्पष्टता की कमी है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो अपने कार्य सक्षम रूप से कुशलतापूर्वक कर कर रहा ह, ऐसी स्थिति में स्वच्छ भारत अभियान को हटाकर निर्मल भारत अभियान लाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इसके बारे में कहना थोडा मुश्किल है फिर यदि सेना की उपस्तिथि कश्मीर घाटी में कम रहेगी तो कश्मीर के लोगों में भारत के प्रति विश्वास ज्यादा बढ़ा बढेगा लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकेगा इसके बारे में भी कुछ कह पाना थोडा मुश्किल है इसके साथ ही नई एजेंसी जो फेक न्यूज़ और हेट स्पीच से जुडी है उसकी भी की स्तिथि भी धुंधली सी है क्योंकि इनपर बन्ने वाले कानूनों का किसी भी सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

वे मुद्दे जो तकनीकी रूप संभव तो है लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है की इन्हें लागू कर पाना लगभग असंभव सा है।

1. न्याय योजना में 72000 रूपए 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को, जिसकी कुल लागत 360000 करोड़ प्रतिवर्ष रहेगी इसे जीडीपी के कुल 2ः के रूप में आकलित किया गया है।
2. प्रत्येक शिशु का टीकाकरण को सुनिश्चित किया जायेगा।
3. नदियों की सफाई परियोजना के लिए प्रस्तुत वर्तमान बजट को दोगुना कर दिया जाएगा।
4. गैरकानूनी रेत खनन को रोका जाएगा।
5. जो भी प्रदूषण नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है उसे भी पूर्ण रूप से रोका जाएगा।

यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सब कैसे किया जायेगा, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, और क्या यह सब कर पाना यथार्थ रूप से संभव है?

♦♦♦♦♦

# 8

## पर्यावरणीय मुद्दे: भाजपा - कांग्रेस घोषणापत्र का तुलनात्मक अध्ययन

पंकज

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पश्चात मुख्य प्रश्न मीडिया समुदाय के द्वारा इस विषय पर केंद्रित किया गया है कि चुनाव में कौन सा दल सरकार बनाएगा। मीडिया समाज के लिए मतदाता से यह जानना प्रमुख प्रश्न बन गया है कि वह किस दल या व्यक्ति को मत देगा। इसलिए मतदाता के मुद्दों की बजाय मत पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो मीडिया के स्वार्थपरायण व्यवहार को परिलक्षित करता है। मतदाता के मुद्दें वायदों के रूप में दलीय घोषणापत्र में दृष्टिगोचर होते हैं। जिसमें विभिन्न दलों के द्वारा वायदों के रूप में सरकार बनने की स्थिति में आगामी कार्यनीति की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में भी विभिन्न दलों के द्वारा जनता के मुद्दों को वायदों का स्वरूप देकर अपने घोषणापत्र में जगह दी हैं। जिनमें अनेक विषयों पर वायदे और दलीय कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। पर्यावरणीय मुद्दे भी विभिन्न दलों के घोषणापत्र में परिलक्षित होते हैं। परंतु इस विषय के विश्लेषण पर विद्वानों के द्वारा कम ध्यान दिया जाता है। हालांकि पर्यावरणीय मुद्दा एक भविष्यन्मुखी विषय है जो न केवल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित करता है। बल्कि आने वाल समय में चुनावी लोकतंत्र की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि भारत भविष्य में वायु प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन आदि से व्यापक रूप से प्रभावित होगा।

इसलिए दलीय घोषणापत्र के माध्यम से अन्य मुद्दों की दशा और दिशा जाना आवश्यक है। पर्यावरण के संदर्भ में दो प्रमुख राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषणापत्र का विश्लेषण करना आवश्यक है क्योंकि यही दोनों दल अधिकतर समय राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में पर्यावरणीय मुद्दे

कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणापत्र "हम निभाएंगे" में अनेक मुद्दों के साथ जलवायु और पर्यावरण को व्यापक एवं विस्तृत महत्व दिया गया है। जिसमें जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण एवं नदी जल प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण प्रमुख रूप से शामिल है। जलवायु परिवर्तन को लेकर घोषणापत्र में वायदा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना लाएगी। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में भारतीय हितों की रक्षा और इसमें वृद्धि करेगी। कांग्रेस के द्वारा वायु प्रदूषण को "सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल" की तरह माना है। जिसमें इससे निपटने के लिए "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम" लाकर प्रदूषण उत्सर्जन को कम किया जाएगा।

तृतीय महत्वपूर्ण पक्ष वन एवं नदी जल प्रबंधन पर केंद्रित है। जिसमें वन संरक्षण कानून में संशोधन किया जाएगा। इसमें पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की भूमिका को बढ़ाने का वायदा किया गया है। इसके साथ वनाच्छादित क्षेत्र 2025 तक 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का वादा किया गया है। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए नदियों की सफाई एवं नदियों को अपशिष्टों से मुक्त करने की बात कही गई है।

इसके अलावा जैव– विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय समुदायों के हितों को प्रभावित किए बिना इनका संरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के द्वारा पर्यावरण के प्रति एक ऐसा प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है जो उसकी व्यापकता को दर्शाता है। परंतु कई पक्षों में वास्तविकता की परिपाटी पर शंका उत्पन्न करता है। जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना तो प्रस्तुत की गई है परंतु वर्तमानकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस मुद्दे पर विकसित देश विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने दायित्व से निरंतर पीछे हट रहा है। इस बारे में विस्तृत कार्य नीति का वर्णन नहीं किया गया है। इसके साथ एक अन्य प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने पूर्वकाल से स्थापित व्यक्तिगत हित जो अक्सर उस की कार्य योजना एवं वास्तविक कार्यशैली में अंतर उत्पन्न करते हैं।

## भाजपा के घोषणापत्र में पर्यावरणीय मुद्दे

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने घोषणापत्र को "संकल्प पत्र" की संज्ञा दी गई। इसमें पर्यावरण एवं जलवायु के विषय पर अलग से वर्णन न करके अन्य विषयों के साथ जोड़कर

विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया। वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा ने वादा किया है कि वह "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम" को एक मिशन के रूप में लाएगी और आगामी 5 वर्षों में इसमें 35 प्रतिशत की कमी लाएगी। जिसमें 102 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। द्वितीय, जल संकट को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में वायदा किया गया है कि अलग से जल मंत्रालय का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा 2022 तक गंगा को पूर्णत स्वच्छ कर दिया जायेगा। तृतीय, भाजपा के घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन का वर्णन नहीं किया गया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। जिसमें ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर जोर देते हुए यह वायदा किया गया है कि 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी द्य जिसमें ऊर्जा के परंपरागत स्त्रोत पर निर्भरता में कमी आएगी। हालांकि जैव–विविधता एवं वन संरक्षण पर कोई विस्तृत कार्ययोजना इसमें परिलक्षित नहीं होता है। इसके साथ पर्यावरण विषय पर व्यापक कार्यनीति का वर्णन इसमें नहीं किया गया है।

पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में दोनों दलों के घोषणापत्र का तुलनात्मक विश्लेषण

पर्यावरण विषय को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के घोषणापत्र का विश्लेषण किया जाए तो विभिन्न पक्षों पर भिन्नता प्रदर्शित होती है। भाजपा एवं कांग्रेस दोनों के घोषणापत्र में प्रथम वैचारिक कार्यनीति भिन्नता पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण को लेकर उत्पन्न होती है। भाजपा अपने घोषणापत्र में मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण की बजाय व्यापक कार्यनीति अपनाते हुए इसके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर ऊर्जा स्रोतों में विविधता पर बल, "नल से जल" योजना जल प्रबंधन आदि पर जोर देते हुए परिलक्षित होती है। जबकि कांग्रेस पार्टी संरक्षण पर अधिकतर ध्यान केंद्रित करते हुए जैव– विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर संरक्षणवादी पक्ष पर ज्यादा महत्व दिया गया है। जबकि प्रबंधकीय पक्ष पर उतना महत्व नहीं दिया गया।

द्वितीय, पर्यावरण के प्रति कार्ययोजना के दृष्टिकोण को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा में भिन्नता परिलक्षित होती है। कांग्रेस पार्टी जहां वन एवं वन्य संसाधन में परंपरागत समुदाय के हितों और मूल्यों को मान्यता देती है। वहीं भाजपा इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना पर बल देती है। जिसमें परंपरागत के साथ– साथ आधुनिक तकनीकी पर भी महत्व दिया गया है। जो इसकी कार्यनीति

में न केवल मिश्रित पक्ष को समाहित करता है बल्कि कार्ययोजना में लचीलापन लाकर वैकल्पिक मार्ग को भी प्रशस्त करता है।

अंतिम दोनों दलों के घोषणापत्र में एक समानता भी प्रदर्शित होती है कि दोनों ही दलों ने पर्यावरणीय मुद्दे एवं विषयों को परिधि की श्रेणी में रखा है। जो यह प्रदर्शित करता है कि अभी मतदाता एवं नागरिक समाज दलों को यह अनुभव कराने में असफल रहा है कि पर्यावरणीय मुद्दे चुनावी राजनीति में महत्व रखते हैं। हालांकि समयकालीन स्थिति ने घोषणापत्र में पर्यावरण को स्थान देने के लिए दलों को मजबूर किया है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

# विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281